सर्व शिक्षा अभियान
(SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्तमान समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था में 'सभी को शिक्षा' देने के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसका आरम्भ 2001 में किया गया था।

भारत, विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में एक होने पर भी, यहाँ स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक अर्थात् कुल जनसंख्या का 22% है। सर्वप्रथम सन् 1910 में गोपालकृष्ण गोखले ने केन्द्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सन् 1917 में बम्बई क्षेत्र में बहुत जद्दोजहद के बीच प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया तथा 1937 तक इस कार्यक्रम ने गति पकड़ी और इसे कई प्रान्तों में लागू कर दिया गया। इसके बावजूद 1946 तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी।

सन् 1947 में देश स्वतन्त्र तो हुआ, लेकिन राजनीतिक तथा सामाजिक उथल-पुथल के कारण उचित शिक्षा का वातावरण नहीं बन सका। सन् 1950 में देश का नया संविधान लागू हुआ जिसके अनुच्छेद 45 में सन् 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी। इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, परन्तु 14 वर्ष तक के बालकों का अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का यह संवैधानिक निर्देश वास्तविक लक्ष्य से अभी काफी दूर है। सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद इसमें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अतः केन्द्र सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से 'सर्व शिक्षा अभियान' प्रारम्भ किया गया।

यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए की गयी। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6-14 साल के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक सन्तोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना है व इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन में पंचायतों को प्रतिभागी प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की अभिव्यक्ति है। इसमें यह व्यवस्था लागू की गई है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों की साझेदारी हो। इस प्रकार यह विद्यालय प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास है। यह गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की माँग की पूर्ति हेतु चलाई गई योजना है तथा गरीब बच्चों में मानव क्षमताओं को सुधारने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। इस योजना में आठ कार्यक्रम हैं। इसमें ICDS (Integrated Child Development Scheme) या बाल समन्वित विकास योजना व आँगनबाड़ी आदि भी शामिल हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई जिसमें सभी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का स्वप्न देखा गया। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है।

(2) देश भर में गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा की माँग के प्रति एक अनुक्रिया है।

(3) यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्ध समितियों, ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघों, माध्यमिक शिक्षक संघों, आदिवासी स्वायत्तशासी परिषदों की प्रभावी सहभागिता होगी। यह केन्द्र, राज्य व स्थानीय शासन में एक साझेदारी है तथा प्राथमिक शिक्षा में अपनी दृष्टि विकसित करने हेतु राज्यों को अवसर देता है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य
(OBJECTIVES OF SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

सर्व शिक्षा अभियान समुदाय द्वारा एक मिशन के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं के उन्नयन के लिए अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान को निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्यों के साथ तय किया गया है—

(1) विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालयों या 'विद्यालयों में वापस' अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को लाना।

(2) 2003 तक सभी विद्यालय, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय 'स्कूल को वापस' में लाना।

(3) 2007 तक सभी बच्चे पाँच वर्ष तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करें।

(4) 2010 तक सभी छात्र आठ वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करें।

(5) जीवन के लिए शिक्षा पर बल के साथ सन्तोषप्रद गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा को बनाना।

(6) 2007 तक प्रारम्भिक स्तर और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा में यौनगत व सामाजिक सम्बन्धी अन्तराल दूर करना। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि यौनगत व सामाजिक दूरी को किया जाये। इसमें शिक्षकों, माता-पिता को भी जवाबदेह बनाया गया है।

(7) 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना।

इस कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नये स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहाँ शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त इसके शौचालय, पीने के पानी का रख-रखाव, अनुदान स्कूल-सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों का विकास करना भी है तथा जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान और ब्लॉक व जिला स्तर एक क्लस्टर द्वारा अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए इस अनुदान से सुदृढ़ किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। तकनीकी आधारित शिक्षा के अन्तराल को कम करने के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण इसके अन्तर्गत मध्याह्न भोजन वितरण की भी शुरुआत की गयी है। इसे 15 अगस्त, 1995 से प्रारम्भ किया गया था। सरकार का यह मानना था कि इसमें नामांकन में वृद्धि होगी, बच्चों का विद्यालय में ठहराव होगा तथा बच्चों का पोषण होगा।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं जिनमें ब्लॉक स्तर के संसाधन केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानीय समुदाय समूहों एवं संस्थागत क्षमता निर्माण को सक्रिय रूप से शामिल करना है।

सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, माता-पिता तथा छात्रों को प्रेरित करना, प्रोत्साहनों जैसे कि छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान शामिल है। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने पर भी लक्षित है जहाँ विद्यालयीन सुविधा कम हैं और अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, शौचालय, पेयजल सुविधाओं आदि के प्रावधान निर्मित करने के माध्यम से मौजूदा विद्यालयीन मूल संरचना को सुदृढ़ बनाने पर भी लक्षित है। अब जबकि सर्व शिक्षा अभियान को सरकार तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है, कुछ निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल भी सार्वत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति योगदान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण के निधिकरण के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है।

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो नागरिकों को प्रारम्भिक शिक्षा का महत्व समझाने में प्रयासरत है। सामाजिक न्याय और समानता

सभी को मूलभूत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सशक्त तर्क है। मूलभूत शिक्षा के प्रावधान से ही जीवन स्तर में भी सुधार अपेक्षित है।

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम (MAIN PROGRAMMES OF SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

(1) ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहाँ कोई स्कूली सुविधाएँ नहीं हैं। (2) अतिरिक्त कक्षाएँ लगाना, (3) शौचालय बनाना, (4) पेयजल की व्यवस्था करना, (5) अनुरक्षण योगदान देना, (6) स्कूलों के बुनियादी ढाँचे को दृढ़ करना, (7) शिक्षकों की कमी को दूर करना, (8) अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना, (9) कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना, (10) निःशुल्क शिक्षा सहित अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ चलाना।

हस्तक्षेप (Interference)—सर्व शिक्षा अभियान में 15 हस्तक्षेप हैं—

(1) **ब्लॉक रिसोर्स सेण्टर** (Block Resource Centre)

(2) **सीआरसी** (Luster Resource Centre)

(3) **एमजीएलसी एंड एआईई (M.G.L.C. and A.I.E. : Alternative and Innovative Education)**—सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को अभिगम देने का एक प्रमुख हस्तक्षेप वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा (एआईई) है। जनजातीय और तटीय क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहे समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को विकसित किया गया है।

(4) **नागरिक कार्य** (Civic Work)—नागरिक कार्य घटक सर्व शिक्षा अभियान के तहत् महत्वपूर्ण है। इस घटक के अधीन बड़े पैमाने पर कुल परियोजना के बजट का 33% तक का निवेश है। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बच्चों तक पहुँचाने का प्रावधान और उन्हें बनाए रखने में मदद करना दोनों ही सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। उप जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान जोकि शैक्षिक समर्थन में मदद करता है जिसकी भूमिका गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वर्णित सभी कार्य सिविल कार्य के अन्तर्गत रखे गए हैं।

(5) **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** (Free Text Book)—इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की जाती हैं।

(6) **अभिनव क्रियाकलाप** (Innovative Activity)—अभिनव कार्यक्रमों को स्कूलों में लागू करने की भूमिका 6-14 आयु के सारे बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया और समुदाय की सक्रिय भागीदारी में सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अन्तराल के बीच पुल बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में होती है। ये कार्यक्रम शिक्षा के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं और उनकी पढ़ाई को बनाए रखने में मदद करते हैं। अभिनव योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यक्रम हैं—बचपन की देखभाल और शिक्षा, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा।

(8) **प्रबन्धन और एमआईएस (MIS)**—इस योजना के अन्तर्गत प्रबन्धन किया जाता है।

(9) **अनुसंधान और मूल्यांकन आर एंड ई (R & E)**—इस हस्तक्षेप में अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण होते हैं। एक प्रभावी EMIS पर क्षमता के विकास के लिए और संसाधन/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से प्रति स्कूल 1,500 रुपये की राशि सामान्यतः प्रस्तावित है। इसमें घरेलू डेटा को

योजना का प्रावधान है। राशि को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल मानचित्रण/माइक्रो योजना का प्रावधान है। राशि का इस्तेमाल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों के लिए उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित गतिविधियाँ हस्तक्षेप के तहत प्रस्तावित हैं–

(1) प्रभावी क्षेत्र आधारित जाँच के लिए संसाधन व्यक्तियों के एक संघ का निर्माण करना।

(2) समुदाय आधारित डेटा का नियमित उत्पादन प्रदान करना।

(3) उपलब्धि परीक्षण, आयोजन, मूल्यांकन अध्ययन।

(4) अनुसन्धान गतिविधि उपक्रम।

(5) न्यून महिला साक्षरता और लड़कियों की विशेष निगरानी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विशेष कार्य बल की स्थापना।

(6) शिक्षा प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर उत्तरदायी व्यय।

(7) दृश्य जाँच प्रणाली के लिए चार्ट, पोस्टर, स्केच पेन, ओ. एच. पी. कलम आदि का आकस्मिक व्यय उपक्रम।

(8) समूह अध्ययन आयोजन।

(9) **शिक्षक प्रशिक्षण**–शिक्षा में गुणवत्ता लाना सर्व शिक्षा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रशिक्षण में सुधार लाने की कई रणनीतियाँ हैं–

(1) शिक्षकों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, (2) नए पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के साथ अभिज्ञता प्रशिक्षण, (3) नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क (NCF 2005) में अभिज्ञता प्रशिक्षण, (4) परीक्षा सुधार, (5) ग्रेडिंग प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली के प्रभाव का मूल्य निर्धारण, (6) शैक्षिक और गैर-शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार, (7) विशेष ध्यान योग्य बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों का प्रशिक्षण, (8) गुणवत्ता शिक्षा मापदण्ड योजना और गुणवत्ता की शिक्षा का कार्यान्वयन।

(10) सुधारात्मक शिक्षण।

(11) समुदाय संग्रहण।

(12) **दूरस्थ शिक्षा**–दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (डीईपी) सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय घटक है, जो कि राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसे भारत के सभी राज्य/संघ क्षेत्रों की सहायता से इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपेन यूनीवर्सिटी (आई.जी.एन.ओ.यू.) द्वारा लागू किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रबन्धकीय संरचना (MANAGEMENT STRUCTURE UNDER SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार केन्द्र एवं राज्य के अधीन प्रबन्धकीय संरचना निम्न प्रकार होगी-

1. केन्द्रीय स्तर पर (At Central Level)–सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। इसके लिए अलग से **'ऐलीमेंटरी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग'** की स्थापना की जा चुकी है। सर्वशिक्षा अभियान के अधीन स्थापित सामान्य परिषद् (General Council) प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगी, जबकि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का मंत्री इस परिषद् का उपसभापति होगा। सामान्य परिषद् में सदस्य सचिव की भूमिका संयुक्त सचिव (Joint Secretary), ऐलीमेंटरी शिक्षा निभाएगा। सर्वशिक्षा अभियान को व्यावहारिक स्तर पर लागू करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार होगा जबकि सचिव ऐलीमेंटरी शिक्षा

कार्यकारी समिति का 'उपाध्यक्ष' होगा। संयुक्त सचिव (Joint Secretary) ऐलीमेंटरी शिक्षा सामान्य परिषद् में सदस्य सचिव (Member Secretary) की भूमिका निभाने के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय अभियान के डाइरेक्टर तथा डिप्टी सचिव इस मिशन के डिप्टी निर्देशक के तौर पर सम्पूर्ण कार्य की देख-रेख करेंगे व डायरेक्टर जनरल की सहायता करेंगे। योजना के अनुसार प्रत्येक अधिकारियों के उत्तरदायित्व निश्चित होंगे।

2. कार्य-क्षेत्र (Working Area)—अभियान के तहत कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें शामिल होंगी—

- निगरानी, खोज, मूल्यांकन एवं कार्यात्मक क्षेत्र।
- लिंग सम्बन्धी, छोटे बच्चों की देखभाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं विशेष समूहों पर केन्द्रित क्षेत्र।
- गुणात्मक स्तर को ऊँचा उठाना एवं शिक्षा की ओर ध्यान देना।
- ई. जी. एस. भर्ती, अतिरिक्त पदों का स्थानान्तरण (Rationalisation) एवं अन्य नीतियों से सम्बन्धित।
- योजना एवं संगठनात्मक गतिशीलता।
- बजट, लेखा-जोखा, वार्षिक रिपोर्ट एवं जाँच।
- सिविल कार्य एवं विद्यालय सुविधाओं का विकास।

प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी अधिकारी तथा इसके अधीन सचिव इस अभियान का हिस्सा होंगे और जब तक अभियान के अधीन नए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, यह अधिकारी निगरानी, पुनरीक्षण, मूल्यांकन आदि के कार्यों में सहायता करेंगे।

3. राज्य स्तर पर (At State Level)—राज्य स्तर पर इस अभियान को लाने के लिए और प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए **'स्टेट मिशन अथॉरिटी'** (State Mission Authority) होगी। प्रारम्भिक शिक्षा की सभी गतिविधियाँ (अनौपचारिक शिक्षा सहित) एक समिति/मिशन अथॉरिटी के अधीन होगी तथा इसे राज्य स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। मिशन अथॉरिटी राज्य स्तर पर प्रत्येक प्रकार के निर्णय, योजना तथा वित्त सम्बन्धी कार्य करने हेतु स्वतन्त्र होगी। राज्य स्तर पर गठित सामान्य परिषद् (General Council) का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री (Chief Minister) होगा तथा कार्यकारी समिति (Executive Committee) मुख्य सचिव/कमिश्नर, सचिव शिक्षा विभाग के अधीन होगी। वित्तीय एवं योजना विभाग निर्णय लेने में सामान्य परिषद् की सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संस्थाएँ, सामाजिक कार्यकर्ता, विश्वविद्यालय शिक्षक, शिक्षक यूनियन के प्रतिनिधि, पंचायती राज्य संस्थाएँ एवं स्त्री समूह मिशन की पारदर्शिता को व्यावहारिक प्रदान करने में सहायता करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय ढाँचा
(FINANCIAL STRUCTURE UNDER SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन केन्द्र एवं राज्य मिलकर वित्तीय प्रबन्ध करेंगे जो निम्नलिखित नियमानुसार होंगे—

(1) केन्द्र व राज्य के बीच नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 85 : 15 अनुपात, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 75 : 25 अनुपात तथा इसके पश्चात् 50 : 50 के अनुपात में वित्तीय सहभागिता होगी। लागत की सहभागिता सम्बन्धी आदेश राज्य सरकार से लिखित रूप में लिया जाएगा।

(2) भारत सरकार राज्यों की योजना के अधीन सीधे राशि जारी करेगी। राज्य सरकार को कार्यक्रम चलाने के लिए अलग संस्था की स्थापना करनी होगी और इस संस्था को ही केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार की ओर से राशि की अंतिम किश्त उस समय दी जायेगी जब राज्य सरकारें अपना निश्चित भाग सर्व शिक्षा अभियान संस्था को प्रदान करेंगी और यह संस्था कुल राशि का अधिक खर्च कर लेगी।

(4) प्राप्त राशि को विद्यालयों के विकास, संभाल व मरम्मत और शिक्षण सामग्री पर खर्च किया जायेगा। राशि का प्रयोग ग्रामीण शिक्षा विकास समितियाँ/विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ, ग्राम पंचायत व अन्य संस्थाएँ करेंगी।

(5) अन्य योजनाएँ जैसे छात्रवृत्ति, वर्दी आदि राज्य सरकार अपनी योजना के अनुसार जारी रखेगी। इसके लिए वह सर्व शिक्षा अभियान की राशि का प्रयोग नहीं कर सकेगी।

(6) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भर्ती किए गए शिक्षकों को केन्द्र एवं राज्य मिलकर भुगतान करेंगे जो 9वीं पंचवर्षीय योजना अधीन 85 : 15 अनुपात, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 75 : 25 अनुपात और उसके पश्चात यह 50 : 50 के अनुपात में होगा।

सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन
(IMPLEMENTATION OF SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

(1) ब्लॉक संसाधन केन्द्र—'सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम' में प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लॉक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसमें एक हॉल (6.5 × 1.2 मीटर), एक कक्ष (5 × 10 मीटर), एक स्टोर रूम (3 × 5 मीटर), दो शौचालय, स्नानागार होंगे। इसमें विद्युत आपूर्ति व जल आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था होगी जिसमें एक समन्वयक तथा दो सह-समन्वयक कार्यरत होंगे। इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें, संदर्शिकाएँ, समाचार-पत्र, पत्रिकायें, विज्ञान, गणित आदि की किट, रंगीन टी.वी., टू-इन-वन, माइक, तबला, मंजीरा, ढोलक, अन्य प्रकार के वाद्य यन्त्रों तथा खेलने के सामान की व्यवस्था की गयी है। साथ-ही-साथ 3000 रुपये वार्षिक रख-रखाव हेतु भी मिलते हैं।

(2) सह-संसाधन केन्द्र—न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिए शैक्षिक अकादमिक एवं शिक्षणेत्तर आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये केन्द्र कार्यशालायें, विचारगोष्ठियों, समय-सारणी की संरचना, सहयोग एवं मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण में भी सहायता करते हैं।

(3) न्याय पंचायत केन्द्रों के माध्यम से विकास खण्ड के सभी स्कूलों की सूचनाओं को 'सूचना प्रबन्ध प्रणाली' के लिए संकलित किया जाता है।

(4) वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा—सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा (AIE) का भी प्रावधान किया गया है। जनजातीय व तटीय क्षेत्र में वंचित और पिछड़े समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को विकसित किया गया है।

(5) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना—प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 की आबादी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से 1.5 किमी. की परिधि के बाहर स्थित बस्तियों को असेवित माना गया है।

(6) शिक्षक-छात्र अनुपात—विद्यालय स्तर पर न्यूनतम दो अध्यापकों की सुनिश्चितता एवं छात्र संख्या के आधार पर समुचित उपलब्धता।

(7) **नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण**—सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु कक्षा एक से कक्षा 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बालक व समस्त बालिकाओं हेतु नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।

(8) **शिक्षण अधिगम उपकरण**—असेवित बस्तियों में नवनिर्मित विद्यालयों हेतु विद्यालय स्तरानुसार धनराशि उपलब्ध कराना।

(9) **अभिनव क्रियाकलाप**—अभिनव कार्यक्रमों को स्कूलों में लागू करने में 6-14 वर्ष के सारे बच्चे लाभान्वित होते हैं एवं ये कार्यक्रम प्रासंगिक, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के रूप में व क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। ये कार्यक्रम शिक्षा के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं और इनसे उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद मिलती है। अभिनव योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यक्रम हैं—बचपन की देखभाल व शिक्षा, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा व कम्प्यूटर शिक्षा।

(10) **अध्यापक प्रशिक्षण**—शिक्षण अधिगम सम्प्राप्ति के उन्नयन हेतु शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की सुविधा।

(11) **सामुदायिक प्रशिक्षण**—विद्यालयों के प्रबन्धन एवं सफल संचालन हेतु गठित समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(12) **समेकित शिक्षण**—विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण वैकल्पिक शिक्षा उपकरण, वितरण, असेसमेण्ट कैम्प, अभिभावक परामर्श आदि की व्यवस्था।

(13) **शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण**—स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण हेतु शोधकार्य कराना, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु योजनायें तैयार करना। इसके अन्तर्गत एक प्रभावी प्रबन्धन सूचना प्रणाली हेतु प्रति स्कूल 1500 रुपये की राशि सामान्यत: प्रस्तावित होती है। इसमें घरेलू आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल मैपिंग व माइक्रो योजना का प्रावधान है।

(14) **विद्यालय अनुदान**—परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान दिया गया था। विद्यालय अनुदान में से 100 रुपये स्कूल के पुस्तकालय सुविधाओं के सुधार हेतु धन दिया गया था तथा शेष बाकी निधि को गैरकार्यात्मक उपकरण को कार्यात्मक बनाने में, स्कूल सौन्दर्यीकरण, मरम्मत और फर्नीचर, अनुरक्षण, संगीत, वाद्ययन्त्र व स्कूलों के सम्पूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया गया था।

(15) **शैक्षिक अनुदान**—कक्षा शिक्षण के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के क्रम के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी एल. पी./यू. पी. (निम्न प्राथमिक/उच्च प्राथमिक) शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षकों ने अनुदान का प्रयोग उत्पादन और TLM (Teaching Learning Material) उपलब्ध कराने में किया, जिसमें 2007-08 के दौरान 5,47,590 शिक्षक लाभान्वित हुए।

(16) सुधारात्मक शिक्षण।

(17) बालिका शिक्षा।

(18) ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर सुदृढ़ीकरण।

(19) समुदाय सहभागिता।

(20) दूरस्थ शिक्षा।

[**निर्देश** : 'सर्व शिक्षा अभियान के मानक' नामक शीर्षक का मैटर पृष्ठ 81 पर देखिए।]

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं का एकीकरण (INTEGRATION OF MAJOR CENTRAL INTERVENTION PROGRAMMES SCHEMES UNDER SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत कई योजनाएँ आरम्भ की गई जैसे—ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, स्त्री शि... प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक कार्यक्रम, शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) इत्यादि। ऐसे कार्य... को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित ढंग से जोड़ने की व्यवस्था की गई है—

1. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Blackboard)—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अ... विद्यालयों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नाम से योजना शुरू की थी। किन्तु यह योजना प्राथमिक आवश्यकताओं तक ही सीमित थी। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आज की रूपरेखा को विस्तृत किया गया। इस अभियान में बताया गया कि सर्व शिक्षा अ... योजना कार्यशील होगी, या रहेगी तब तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अधीन नये शिक्षकों को सम्मि... नहीं किया जाएगा। इसके अधीन भर्ती किये जाने वाले सभी शिक्षकों को नवम पंचवर्षीय योजना... इसके अनुसार वेतन दिया जायेगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयों की मू... आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।

2. शिक्षक शिक्षा की मजबूती (Strengthening the Teacher Education)—सर्व शि... अभियान के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा को मजबूत किया जायेगा और इसमें शिक्षकों की भर्ती भी सम्मि... होगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद शिक्षक शिक्षा का पूरा कार्य इसी अभियान के अन्त... आएगा। सर्व शिक्षा अभियान अधीन जिला स्तर पर स्थापित डाइटों का पूर्ण नेतृत्व किया जाएगा। इ... अलावा राज्यों में स्थापित SCERTS को शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोत्सा... किया जाएगा।

3. शिक्षा गारण्टी योजना व अन्य प्रकार की शिक्षा (Education Guarantee Sche... and Other Types of Education)—अनौपचारिक शिक्षा की कठोरता को देखते हुए कहा गया ... ऐसी शिक्षा में पूर्णरूप से लचकता होनी चाहिए। जिससे विभिन्न राज्यों में इसको प्रभावपूर्ण होकर आ... किया जाए। सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य के अन्तर्गत पूरे देश में शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) बालि... शिक्षा अभियान आदि अनौपचारिक तरीके से शिक्षा देने के उपाय किये जाने की व्यवस्था इस योजना... शुरू की। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा की शिक्षा गारण्टी योज... (EGS) एवं अन्य साधनों के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाया जाएगा।

4. महिला समाख्या (Mahila Samakhya)—आँकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं ... महिला समाख्या कार्यक्रम के अधीन स्त्री शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हु... लड़कियों की शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने के लिए महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाये जा... पर बल दिया जाए।

5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme DPEP)—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान का एक भाग माना गया है। पूर्व... अनुभव से यह बात आगे आती है कि इस कार्यक्रम में देश के कई जिलों को फायदा हुआ है। प्राथमि... शिक्षा के प्रसार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

6. दोपहर के खाने की व्यवस्था (Mid-day Meal)—प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की उपस्थिति को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से उनके लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पूरी तरह से बढ़ेगी व उन्हें पौष्टिक भोजन भी प्राप्त होगा।

7. लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट (Lok Jumbish Project)—लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट राजस्थान के 13 जनपदों में शुरू किया गया और यह जिला स्तर का कार्यक्रम है। इस योजना/प्रोजेक्ट के मूल्यांकन पर यह बात सामने आई कि इस योजना का राजस्थान के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यह शिक्षा काफी योगदान पूर्ण रही। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा के साथ जोड़ा गया।

8. जनशाला कार्यक्रम (Janshala Programme)—भारत सरकार व संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों UNDP, UNICEF, UNESCO, ILO, UNFPA के सहयोग से 'जनशाला' कार्यक्रम शुरू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में इस जनशाला कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनशाला समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसका प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा को और मजबूत व प्रभावपूर्ण ढंग से चलाना है। इसमें समाज के कमजोर वर्ग लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने पर बल दिया गया। जिन जिलों में जनशाला कार्यक्रम क्रियाशील भूमिका अदा कर रहे हैं उन जिलों में यह सर्व शिक्षा अभियान में शामिल होगी।

9. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya Yojna)—इस प्रकार केन्द्र सरकार की तरफ से शुरू की गई सभी योजनाओं को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लाकर प्रत्येक प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि करने के विचार किये जाने की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना का शुभारम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गयी थी, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा ऐसी बालिकाओं, जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है, की शिक्षा के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए 2004 में की गयी थी। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में स्थापित किये गए हैं जहाँ अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय आँकड़ों से कम है और साक्षरता में लैंगिक अन्तर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। इन विद्यालयों में 100 छात्राओं को आवासीय सुविधा देते हुए कक्षा 6, 7, 8 की शिक्षा देने की व्यवस्था है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के शैक्षिक संवर्धन के लिए अनेक शिक्षणेतर गतिविधियाँ आयोजित करायी जाती हैं, जैसे—खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, कविता, कहानी तथा अन्य रोचक प्रसंगों का आयोजन, शैक्षिक बाल फिल्मों का प्रदर्शन आदि। इन विद्यालयों में बालिकाओं में नेतृत्व एवं आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए मीना मंच गठित किया गया है तथा इसके माध्यम से बालिका शिक्षा से सम्बन्धित सामाजिक अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 24 राज्यों तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में चल रही है जिसमें उत्तर

सर्व शिक्षा अभियान के मानक
(NORMS OF SARVA SHIKSHA ABHIYAN)

शिक्षक	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। एक कक्षा के लिए कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए।
विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय सुविधा	प्रत्येक आवासीय परिसर के एक किलोमीटर के अन्दर होना चाहिए।
उच्च प्राथमिक विद्यालय सेक्टर	प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।
कक्षाएँ	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा। उच्च प्राथमिक विद्यालय सेक्टर में प्रधानाचार्य के लिए एक कक्ष।
मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को उपलब्ध होंगी, जिनकी कीमत अधिकतम 150 रुपये प्रति छात्र है।
सिविल कार्य	सर्व शिक्षा अभियान के फण्ड का 33% प्राप्त होगा। विद्यालय सुविधाओं में वृद्धि करना, विद्यालयी मरम्मत तथा रख-रखाव, उच्चीकरण आदि के लिए, फण्ड के उपयोग हेतु ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबन्ध समितियों, ग्राम पंचायत समिति आदि को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, वित्तीय प्रबन्ध विकेन्द्रित होगा।
स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए कार्यक्रम	शिक्षा गारण्टी योजना के मानकों के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना। सुविधा से वंचित आवासीय क्षेत्रों में शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना। वैकल्पिक विद्यालय मॉडलों की स्थापना करना।